<u>यह अग्रता-सूची की अद्यतन प्रति है एवं इसमें अब तक हुए सभी संशोधन शामिल हैं।</u>

<u>राष्ट्रपति सचिवालय</u>

नई दिल्ली, दिनांक : 26 जुलाई, 1979

सं.33-प्रेज./79- इस विषय पर जारी की गई सभी पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, निम्नांकित व्यक्तियों के रैंक तथा अग्रता-क्रम के संबंध में निम्नलिखित **सारणी**, जिसे राष्ट्रपति ने अनुमोदित कर दिया है, आम सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है:

1. राष्ट्रपति।

2. उप-राष्ट्रपति।

3. प्रधान मंत्री।

4. अपने-अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल।

5. पूर्व राष्ट्रपति।

5क. उप-प्रधानमंत्री ।

6. भारत के मुख्य न्यायाधीश।

   लोक सभा अध्यक्ष।

7. संघ के कैबिनेट मंत्री ।

   अपने-अपने राज्यों में राज्यों के मुख्य मंत्री ।

   उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

   पूर्व प्रधानमंत्री ।

   राज्य सभा एवं लोक सभा में विपक्ष के नेता।

7क. भारत रत्न अलंकरण के प्राप्तकर्ता।

8. भारत में प्रत्यायित विदेश के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत एवं राष्ट्रमंडल-देशों के उच्चायुक्त।

   अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्यों के मुख्यमंत्री ।

   अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल।

9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश।

9क. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग।

मुख्य चुनाव आयुक्त।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक।

10. राज्य सभा के उप-सभापति।

राज्यों के उप-मुख्यमंत्री।

लोक सभा के उपाध्यक्ष।

योजना आयोग के सदस्य।

संघ के राज्य मंत्री (तथा रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों से संबंधित कोई अन्य मंत्री) ।

11. भारत के महान्यायवादी।

मंत्रिमंडल सचिव।

अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों में उप-राज्यपाल।

12. पूर्णत: जनरल के रैंक के अथवा उनके समकक्ष रैंक वाले सेनाध्यक्ष।

13. भारत में प्रत्यायित विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री ।

14. अपने-अपने राज्यों में राज्य विधानमंडलों के सभापति एवं अध्यक्ष।

अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश।

15. अपने-अपने राज्यों में राज्यों के कैबिनेट मंत्री ।

अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों में वहां के मुख्यमंत्री तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद।

संघ के उप-मंत्री ।

16. लेफ्टिनेंट-जनरल अथवा समकक्ष रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष।

17. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष।

अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष।

अपने-अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश।

अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालयों के उत्तरवर्ती न्यायाधीश।

18. अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के कैबिनेट मंत्री ।

अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्य विधानमंडलों के सभापति एवं अध्यक्ष।

एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष।

अपने-अपने राज्यों में राज्य विधानमंडलों के उप-सभापति एवं उपाध्यक्ष।

अपने-अपने राज्यों में राज्यों के राज्यमंत्री ।

अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों में वहां के मंत्री तथा दिल्ली के कार्यकारी पार्षद।

अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों में वहां की विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष।

19. अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों में मंत्रिपरिषद रहित संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य-आयुक्त।

अपने-अपने राज्यों में राज्यों के उप-मंत्री ।

अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों में वहां की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष तथा दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति।

20. अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्य विधानमंडलों के उप-सभापति एवं उपाध्यक्ष।

अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के राज्यमंत्री ।

अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर उच्च न्यायालयों के उत्तरवर्ती न्यायाधीश।

21. संसद-सदस्य।

22. अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के उप-मंत्री ।

23. आर्मी कमांडर/थल सेना उपाध्यक्ष या अन्य सेवाओं में समकक्ष पदाधिकारी।

अपने-अपने राज्यों में राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।

भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त।

अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य।

पूर्णतः जनरल के रैंक के अथवा समकक्ष रैंक वाले अधिकारी।

भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन रूप में धारण करने वाले अधिकारियों सहित)

अल्पसंख्यक आयोग के सचिव।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव।

राष्ट्रपति के सचिव।

प्रधानमंत्री के सचिव।

राज्य सभा/लोक सभा के सचिव।

सॉलिसीटर जनरल।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष।

24. लेफ्टिनेंट-जनरल के रैंक के अथवा समकक्ष रैंक वाले अधिकारी।

25. भारत सरकार के अपर सचिव।

अपर सॉलिसीटर जनरल।

राज्यों के महाधिवक्ता।

टैरिफ आयोग के अध्यक्ष।

स्थायी एवं अस्थायी कार्यदूत तथा कार्यकारी उच्चायुक्त।

अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों से बाहर संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद।

अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।

उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों से बाहर संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष तथा दिल्ली महानगर परिषद के उप सभापति।

निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल।

महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

निदेशक, आसूचना ब्यूरो।

अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों से बाहर उप-राज्यपाल।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य।

एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग के सदस्य।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य।

अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों से बाहर संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्री तथा दिल्ली के कार्यकारी पार्षद।

मेजर जनरल अथवा समकक्ष रैंक के सशस्त्र बलों के प्रधान स्टॉफ अधिकारी।

अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों से बाहर संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष तथा दिल्ली महानगर परिषद के सभापति।

26. भारत सरकार के संयुक्त सचिव तथा समकक्ष स्तर के अधिकारी।

मेजर जनरल या समकक्ष स्तर के अधिकारी।

नोट

नोट-1 इस अग्रता-सूची में दिया क्रम केवल राजकीय और रस्मी समारोहों के लिए है और इसका रोजमर्रा के सरकारी कार्य से कोई संबंध नहीं है।

नोट-2 अग्रता सूची में उल्लिखित व्यक्ति अपने क्रम के अनुसरण में स्थान ग्रहण करेंगे। एक ही क्रम में उल्लिखित प्रविष्टियां वर्णमाला क्रम के अनुसार दी गई है। एक ही क्रम में जोड़े गए नामों के वरीयता क्रम उसमें की गई प्रविष्टि की तारीख के अनुसार होंगे। तथापि, यदि एक ही क्रम में शामिल विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति, अपने राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से बाहर किसी समारोह में उपस्थित हैं तथा उनकी प्रविष्टि की तारीख सुनिश्चित करना कठिन है तो उनको उक्त क्रम में प्रविष्टि की तारीख के अनुसार अग्रता-क्रम निर्धारित किए जा चुके व्यक्तियों के पश्चात् संबंधित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नामों के वर्णमाला क्रम के अनुसार अग्रता-क्रम दिया जा सकता है।

नोट-3 क्रम 7 में, पूर्व प्रधानमंत्रियों को अग्रता-क्रम संघ के कैबिनेट मंत्रियों तथा लोक सभा एवं राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेताओं से पहले होगा। अपने-अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अग्रता-क्रम संबंधित राज्यों में आयोजित सरकारी समारोहों में संघ के कैबिनेट मंत्रियों से पहले होगा।

नोट-4 क्रम 8 में:-

(क) असाधारण राजदूतों एवं पूर्णाधिकारी राजदूतों तथा भारत में प्रत्यायित राष्ट्र मंडल देशों के उच्चायुक्तों का अग्रता-क्रम सामूहिक रूप से अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपालों से ऊपर होगा।

(ख) अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के राज्यपालों का अग्रता-क्रम सामूहिक रूप से अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऊपर होगा।

नोट-5 विदेश मंत्रालय दूसरे देशों के गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय राजदूतों, उच्चायुक्तों तथा पूर्णाधिकारी मंत्रियों के भारत दौरे के दौरान उन्हें समुचित रैंक दे सकता है।

नोट-6 नोट-2 में निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद, क्रम 10 में उल्लिखित व्यक्तियों का पारस्परिक क्रम और अग्रता-क्रम निम्नानुसार होगा:-

(1) उप-सभापति, राज्य सभा।
(2) उपाध्यक्ष, लोक सभा।
(3) रक्षा मामलों को देखने वाले रक्षा मंत्रालय में संघ के राज्य मंत्री तथा कोई अन्य मंत्री ।
(4) राज्यों के उप-मुख्यमंत्री।
(5) योजना आयोग के सदस्य।

तथापि, अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के उप-मुख्य मंत्रियों का अग्रता-क्रम हमेशा इस क्रम में उल्लिखित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों के रैंक से नीचे होगा।

नोट-7 एक ही दिन निर्वाचित होने की स्थिति में, राज्यों की विधान-परिषदों के सभापतियों का अग्रता-क्रम विधान-सभाओं के अध्यक्षों से ऊपर होगा।

नोट-8 जब संसद-सदस्यों को बड़े राजकीय समारोहों में एक साथ आमंत्रित किया गया हो तो उनके लिए आरक्षित स्थान मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा अध्यक्ष, राजदूतों आदि के बाद होने चाहिए।

नोट-9 संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष तथा दिल्ली महानगर परिषद के सभापति का अग्रता-क्रम उसी क्रम में शामिल मंत्रियों तथा दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों से पहले होगा।

नोट-10 क्रम सं. 23 में:-

(क) उनका अग्रता- क्रम विदेश सचिव के बाद होगा।
(ख) अल्प-संख्यक आयोग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का अग्रता-क्रम हमेशा इन आयोगों के सचिवों से ऊपर होगा।
(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में होने वाले सरकारी समारोहों में, सेना कमांडरों/थल सेना उपाध्यक्षों या अन्य सेवाओं में उनके समकक्ष अधिकारियों का अग्रता-क्रम हमेशा भारत सरकार के सचिवों के बाद होगा।

नोट-11 क्रम सं. 25 में:-

(क) विदेश मंत्रालय के अपर सचिवों का पारस्परिक अग्रता-क्रम वही होगा जो भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-।। में उनका वरिष्ठता क्रम है।

(ख) अपर सॉलिसीटर जनरल का अग्रता-क्रम राज्यों के महा-अधिवक्ताओं से ऊपर होगा।

(ग) उप राज्यपालों का अग्रता-क्रम मुख्यमंत्रियों और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद से ऊपर होगा तथा मुख्यमंत्रियों एवं दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद का अग्रता-क्रम विधानसभाओं के अध्यक्षों और दिल्ली की महानगर परिषद के अध्यक्ष से ऊपर होगा।

(घ) संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के उपाध्यक्षों तथा दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति का अग्रता-क्रम संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों और दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों के बाद होगा।

नोट-12 क्रम सं. 26 के प्रयोजनार्थ, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष पदों के अग्रता-क्रम का निर्धारण गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

हस्ता/-

(के.सी. मदप्पा)

राष्ट्रपति के सचिव